

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, जोधपुर

परिपत्र संख्या /105/2016-17 / योजना-22

दिनांक 24.11.2016

जमाओं पर ब्याज दर

विषयान्तर्गत, परिपत्र संख्या /102/योजना-19/2016-17 दिनांक 18.11.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से सावधि जमाओं पर ब्याजदरों का विवरण प्रेषित किया गया है ।

दिनांक 25.11.2016 से सावधि जमाओं पर देय ब्याज दरों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

खुदरा मियादी जमा (रु. 1 करोड़ से कम) में दिनांक 25.11.2016 से प्रभावी :-

अवधि	संशोधित ब्याज दर : घरेलू खुदरा मियादी जमा (रु. 1 करोड़ से कम) दिनांक 25.11.2016 से प्रभावी			
	जनता के लिए % प्रतिवर्ष	वरिष्ठ नागरिक % प्रतिवर्ष	स्टाफ/ पूर्व स्टाफ % प्रतिवर्ष	पूर्व स्टाफ वरिष्ठ नागरिक % प्रतिवर्ष
7 दिनों से 14 दिनों तक	5.50	5.50	6.50	6.50
15 दिनों से 45 दिनों तक	5.50	5.50	6.50	6.50
46 दिनों से 90 दिन तक	6.50	6.50	6.50	6.50
91 दिनों से 179 दिनों तक	6.50	6.50	7.50	7.50
180 दिनों से 1 वर्ष से कम	7.00	7.50	8.00	8.50
1 वर्ष	7.00	7.50	8.00	8.50
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष से कम तक	6.85	7.35	7.85	8.35
3 वर्ष से 5 वर्षों तक	6.50	7.00	7.50	8.00
5 वर्षों से अधिक एवं 10 वर्षों तक	6.50	7.00	7.50	8.00

थोक मियादी जमा (रु. 1 करोड़ से रु. 10 करोड़) में दिनांक 25.11.2016 से प्रभावी :-

अवधि	संशोधित ब्याज दर : थोक मियादी जमा (रु. 1 करोड़ से रु. 10.00 करोड़) दिनांक 25.11.2016 से प्रभावी			
	जनता के लिए % प्रतिवर्ष	वरिष्ठ नागरिक % प्रतिवर्ष	स्टाफ/ पूर्व स्टाफ % प्रतिवर्ष	पूर्व स्टाफ वरिष्ठ नागरिक % प्रतिवर्ष
7 दिनों से 14 दिनों तक	5.00	5.00	5.00	5.00
15 दिनों से 45 दिनों तक	5.00	5.00	5.00	5.00
46 दिनों से 90 दिन तक	5.50	5.50	5.50	5.50
91 दिनों से 179 दिनों तक	5.50	5.75	5.50	5.75
180 दिनों से 1 वर्ष से कम	5.75	6.00	5.75	6.00
1 वर्ष	6.00	6.25	6.00	6.25
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष से कम तक	6.00	6.25	6.00	6.25
3 वर्ष से 5 वर्षों तक	5.50	5.75	5.50	5.75
5 वर्षों से अधिक एवं 10 वर्षों तक	5.50	5.75	5.50	5.75

शाखाओं को निर्देशित किया जाता है कि रु 1 करोड़ से अधिक की थोक मियादी जमाएं क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित महाप्रबन्धक की अनुमति उपरान्त ही प्राप्त करें।

अन्य निर्देश हमारे पूर्व परिपत्रानुसार रहेंगे।

सभी शाखा प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु उनके अधीन कार्यरत स्टाफ के ध्यान में लाकर तदनुसार परिपत्र के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष